भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2881
जिसका उत्तर बुधवार, 10 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

न्याय मित्र योजना

2881. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे :

श्री कुलदीप राय शर्मा :

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :

डॉ. सुभाष रामराव भामरे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्याय मित्र योजना आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है ;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत निपटाए गए मामलों की संख्या और ब्यौरा क्या है ;

(ग) यह कार्यक्रम किन राज्यों में कार्यान्वित किया गया है ;

(घ) क्या सरकार ने देश के अन्य राज्यों में इस योजना का विस्तार करने हेतु कोई कदम उठाए है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या उक्त प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा कोई समय-सीमा तय की गई है ;

(च) क्या योजना ने वे उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं जिनके लिए इसे बनाया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) सरकार द्वारा हाशिये के लोगों को निःशुल्क कानूनी सलाह देने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : मुवक्किलों को विधिक सलाह और सहायता प्रदान करके, ज़िला न्यायपालिका को 10 वर्ष से अधिक पुराने लंबित न्यायालयीय मामलों को निपटाने में सुकर बनाने के उद्देश्य से, अप्रैल 2017 में "न्याय तक पहुँच" स्कीम के अधीन न्याय मित्र कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था।

(ख) : न्याय मित्रों ने विभिन्न जिलों में 236 मामलों को निपटाने में सहायता की है,जिसके अंतर्गत सिविल मामले जैसे - वैवाहिक मामले, दुर्घटना दावा मामले और आपराधिक मामले भी हैं।

(ग) : न्याय मित्र कार्यक्रम ने बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल राज्यों में अच्छा कार्य किया है।

(घ) और (ङ) : इस कार्यक्रम को महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा में विस्तारित किया गया है जहां, ऐसे मामलों की संख्या जो 10 से अधिक वर्षों से लंबित हैं, बड़ी संख्या में हैं।

(च) : विभिन्न ज़िला न्यायालयों में 236 मामलों को निपटाने में न्याय मित्र एक माध्यम बने हैं। तथापि , चूंकि न्यायालयीय मामलों का निपटान एक सतत प्रक्रिया है , न्याय मित्र इन मामलों के निपटारे में न्यायपालिका को सहायता प्रदान करते हैं।

(छ) : सरकार द्वारा सीमांत लोगों को निःशुल्क विधिक सलाह प्रदान करने के लिए किए गए अन्य उपक्रमणों में टेली -विधि और प्रो -बोनो (न्याय बंधु) वकील स्कीम हैं। इसके अतिरिक्त विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम ,1987 की धारा 12 के अधीन आने वाले लोगों के प्र वर्गों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) स्की मों को संचालित कर ता है।

****